



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41791 वर्ष 2025

मुरसलीन उर्फ मुरस्लिम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : डॉ. अमर नाथ सिंह, मोहम्मद वसीम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद वसीम, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक मुरसलीन उर्फ मुरस्लिम की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 128 वर्ष 2025, धारा 137(2), 351(2), 352, 191(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5(3), थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे उक्त मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह दिनांक 02.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त मोहम्मद हसीन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 19.11.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40859 वर्ष 2025 में पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा किये जाने की दशा में उसके न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थागण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किये जाने की युक्तियुक्त आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का प्रकरण बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **मुरसलीन उर्फ मुरस्लिम**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा प्रत्येक के साथ दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को न तो प्रभावित करेगा और न ही धमकायेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की जाये।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की स्थिति में, न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रवि प्रकाश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।